Toppersnotes®
Unleash the topper in you

SSC - CHSL

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर

कर्मचारी चयन आयोग

भाग – 4

सामान्य अध्ययन एवं कम्प्यूटर

SIERRA INNOVATIONS

SSC - CHSL

भारत का भूगोल		
1.	भारत का विस्तार	1
2.	भारत के भौगोलिक भू–भाग	6
3.	भारत का अपवाह तंत्र	35
4.	जैव विविधता	50
6.	भारत की मृदा	58
7.	भारत में खनिजों का वितरण	64
8.	कृषि	75
9.	जनगणना	82
10.	विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य	86
भारत का इतिहास व राजव्यवस्था		
1.	प्राचीन इतिहास	95
	• सिन्धु घाटी सभ्यता	97
	• वैदिक काल	103
	• बौद्ध धर्म	107
	• जैन धर्म	109
	• मौर्य वंश	112
	• पुष्यभूति वंश	118
	• संगम वंश	119
	• त्रिपक्षीय संघर्ष	122
2.	मध्यकालीन भारत	126
	• सल्तनत काल	126
	• मुगल काल	137
	• विजयनगर साम्राज्य	152
3.	आधुनिक भारत का इतिहास	156
	• भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन	156

	• मराठा शक्ति का उत्कर्ष	163
	• देशी राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति	169
	• अंग्रेजो की भू–राजस्व पद्धतियाँ	172
	• आग्ल सिख का संघर्ष	177
	• गवर्नर व वायसराय	177
	• 1857 की क्रान्ति	186
	• महत्वपूर्ण विद्रोह	189
	• राष्ट्रीय आन्दोलन	198
	• कांग्रेस अधिवेशन	199
	• प्रमूख व्यक्तित्व	224
4.	भारतीय संविधान	226
	• भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास	226
	• संविधान के भाग	234
	• राष्ट्रपति की शक्तियाँ	256
	• लोकसभा	268
	• न्यायपालिका	283
	• संविधान संशोधन	292
	अर्थव्यवस्था	
1.	अर्थव्यवस्था एवं इसके क्षेत्र	304
2.	राष्ट्रीय आय	305
3.	मुद्रास्फीति	306
4.	बैंकिंग	309
5.	राजकोषीय नीति एवं बजट	317
6.	बेरोजगारी एवं गरीबी	321
7.	पंचवर्षीय योजनायें	323
	❖ कम्प्यूटर	

SSC CHSL

SSC CHSL में सामान्य जागरूकता अनुभाग का स्तर आसान से मध्यम है। परीक्षा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विषय इतिहास, राजनीति, भूगोल, सामान्य विज्ञान और करेंट अफेयर्स हैं। यहाँ प्रत्येक विषय से पूछे गए प्रश्नों की औसत संख्या निम्न है:

SSC CHSL Exam Analysis Tier I (General Awareness)		
Topic	**Difficulty Level**	**No. of Questions**
History	Easy-Moderate	4
Polity	Easy	2
Geography	Easy-Moderate	3
Economics	Easy-Moderate	1
Static Awareness	Easy-Moderate	2-3
Physics	Easy-Moderate	1-2
Chemistry	Easy-Moderate	2-3
Biology	Easy-Moderate	3-4
Current Affairs	Moderate	4-6
Total Questions	**Easy-Moderate**	**25**

भारत के भौगोलिक भू–भाग

(Physiography Devision of India)

भारत के भौगोलिक भू–भाग

इसे मुख्यतः 5 भौतिक भागों मे बाँटा है जो निम्न है (**NCERT** में 6 भागों में विभाजित किया गया है ।)

1. हिमालय पर्वतीय प्रदेश
2. उत्तरी मैदानी प्रदेश
3. प्रायद्वीप पठारी प्रदेश
4. तटीय मैदानी प्रदेश
5. द्वीपीय समूह प्रदेश

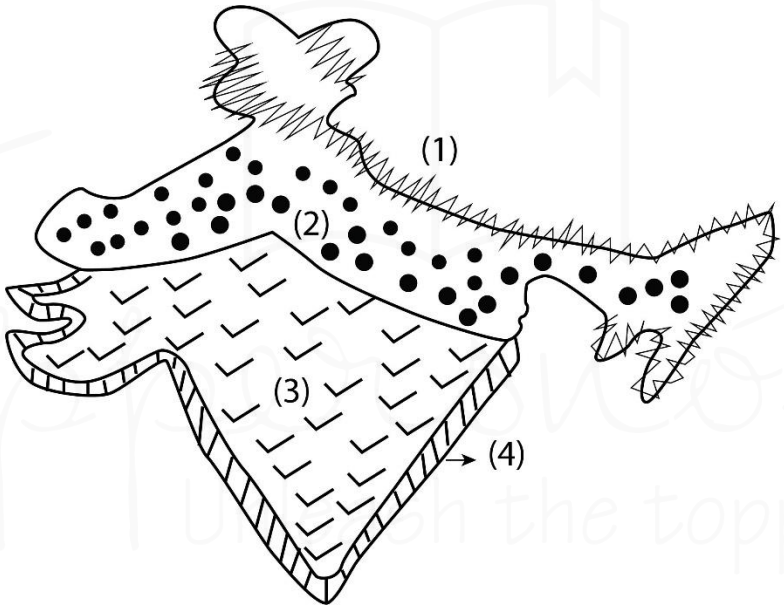

1. हिमालय पर्वतीय प्रदेश

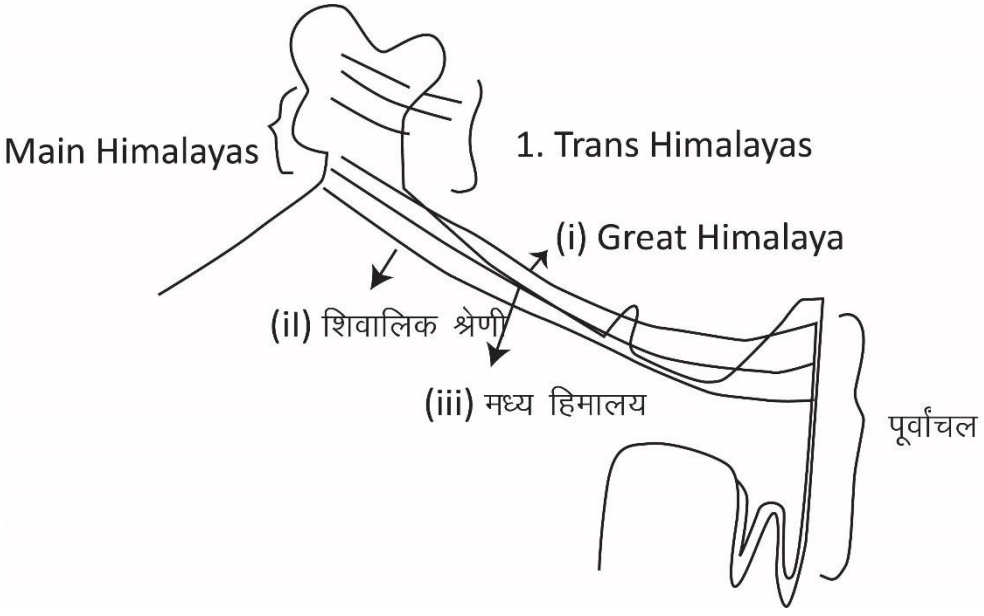

- भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत तंत्र हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण करता है ।
- इस पर्वत तंत्र का निर्माण नवीन वलित पर्वतों से हुआ है ।
- ये वलित पर्वत 'यूरेशियन प्लेट' तथा 'भारतीय प्लेट' के अभिसरण से निर्मित हुए है ।
- इस पर्वत तंत्र का निर्माण टर्शरी काल में हुआ है, इसलिए इसे 'टर्शरी पर्वत तंत्र' भी कहा जाता है । **Tertiary Period** (टर्शरी काल) = (70 मिलियन वर्ष–11 मिलियन वर्ष पूर्वतक)
- यह पर्वत तंत्र विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत तंत्र है, इसलिए इस तंत्र में बहुत से अल्पाइन हिमनद भी पाये जाते है ।
- भारत की सबसे प्रमुख नदियों का उदगम इसी पर्वत पर स्थित हिमनदों से होता है ।
- इस पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:–

ट्रांस हिमालय

हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है ।

- यह मुख्य रूप से 'जम्मू–कश्मीर' व 'तिब्बत' में स्थित है ।
- मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है ।
- इस भाग में तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है :–

(a) काराकोरम श्रेणी

- यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कहलाती है ।
- यह ट्रांस हिमालय की सबसे लम्बी व ऊँची श्रेणी है ।
- 'माउण्ट गोडविन ऑस्टिन' इस श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊँची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है । (8611 किमी.)
- यह श्रेणी अपने अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है :–
  1. बतुरा
  2. हिस्पार
  3. बियाको
  4. बालतोरो
  5. सियाचिन
- सियाचिन हिमनद' नुबरा घाटी में स्थित है तथा इस हिमनद के पिघलने से नुबरा नदी का उदगम होता है, जो कि सिन्धु की सहायक नदी है ।

(b) लद्दाख श्रेणी

- काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है ।
- तिब्बत में इस श्रेणी का विस्तार 'कैलाश पर्वत' के नाम से जाना जाता है ।
- तिब्बत में इस श्रेणी के दक्षिण में 'मानसरोवर झील' स्थित है ।
- 'एकापोशी चोटी' इस श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है । जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है ।

(c) जास्कर श्रेणी

- ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी ।
- जास्कर तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य सिन्धु घाटी स्थित है ।

Note

लद्दाख पठार

- कराकोरम श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित अन्तः पर्वतीय पठार है ।
- इस पठार की ऊँचाई लगभग 4800 मीटर है तथा यह भारत का सबसे ऊँचा पठार है ।
- वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पठार पर शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, इसलिए यह एक 'ठण्डे मरूस्थल' का उदाहरण है ।
- इस पठार पर बहुत सी खारे पानी की झील पाई जाती है ।

मुख्य हिमालय

- यह पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है ।
- यह भाग सिन्धु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक स्थित है ।
- इस भाग के दोनों ओर अक्षसंधीय मोड **(Systaxial Bend)** पाया जाता है ।
- इस भाग की चौडाई पश्चिमी भाग में अधिक तथा पूर्वी भाग में कम है ।
- यह लगभग 2400 किमी. की दूरी में विस्तृत है ।
- इस भाग में तीन प्रमुख श्रेणियाँ है:-
  - (a) वृहद् हिमालय (Greater Himalaya)
  - (b) मध्य हिमालय (Middle Himalaya)
  - (c) शिवालिक (Shivalik)

(a). वृहद् हिमालय (Greater Himalaya)

- यह श्रेणी नंगा पर्वत से नामचा बरवा के बीच स्थित है ।
- यह 2400 किमी. की दूरी तक विस्तृत है तथा इसकी औसत चौडाई 25 किमी. एवं औसत ऊँचाई 6100 मी. है ।
- ऊँचाई अधिक होने के कारण यह पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है अतः इसे हिमाद्री भी कहा जाता है ।
- यह विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी है । इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट एवरेस्ट (8849 मी.) स्थित है ।
- इस श्रेणी मे कंचनजंघा (8598 मी.), मकालू (8484 मी.) धौलागिरी (8172 मी.), नंगा पर्वत (8126 मी.) आदि स्थित है ।
- माउण्ट एवरेस्ट नेपाल-चीन सीमा पर स्थित है । इसे नेपाल में सागरमाथा कहते है । (माउण्ट एवरेस्ट को)
- इस पर्वत पर बहुत से प्रमुख हिमनद स्थित है । **e.g.-** गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, पिंडारी, मिलान इत्यादि ।
- इस श्रेणी में बहुत से दर्रे है जिन्हें स्थानीय भाषा में 'ला' कहा जाता है ।

- वृहत हिमालय के प्रमुख दर्रे निम्न है :-

➢ बुर्जिल	➢ नीति
➢ जोजीला	➢ लिपुलेख
➢ बडालाचा	➢ नाथुला
➢ शिपकीला	➢ जेलेप्ला
➢ माना	➢ बोमडीला

(i). बुर्जिल दर्रा
- यह श्रीनगर को **POK** से जोडता है ।
- इस दर्रे के माध्यम से घुरूपैठ गतिविधियाँ होती है ।

(ii). जोजिला दर्रा
- यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोडता है ।
- इस दर्रे से **NH-1D** गुजरता है ।

(iii). बाडालाचा दर्रा – यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह से जोडता है ।

(iv). शिपकिला दर्रा
- यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोडता है ।
- इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया है ।
- इसी दर्रे के माध्यम से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है ।
- इस दर्रे के माध्यम से चीन के साथ व्यापार किया जाता है ।

(v). माना :- यह दर्रा उत्तराखण्ड को तिब्बत से जोडता है ।

(vi). नीति :- यह दर्रा उत्तराखण्ड को तिब्बत से जोडता है ।

(vii). लिपुलेख दर्रा
- यह दर्रा उत्तराखण्ड को तिब्बत से जोडता है ।
- इस दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है अतः इसे 'मानसरोवर का द्वार' भी कहा जाता है ।
- इस दर्रे के माध्यम से चीन के साथ व्यापार किया जाता है ।

(viii). नाथूला दर्रा
- यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोडता है ।
- इस दर्रे से प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था।
- इस दर्रे का उपयोग चीन के साथ व्यापार एवं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है

- मानसरोवर की यात्रा इस दर्रे के माध्यम से अधिक सुगम होती है ।

(ix). जेलेप–ला दर्रा :– यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोडता है ।

(x). बोमडीला दर्रा :– यह दर्रा अरूणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोडता है ।

(b). मध्य हिमालय (Middle Himalaya)

- इसे हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय भी कहते है ।
- यह श्रेणी 2400 किमी. की दूरी में विस्तृत है ।
- इसकी औसत चौडाई 50 किमी. है ।
- इस श्रेणी की ऊँचाई लगभग 3700–4500 मी. के बीच पाई जाती है ।
- इस श्रेणी के विभिन्न स्थानीय नाम हैः–
  - जम्मू कश्मीर – पीरपंजाल
  - हिमाचल प्रदेश – धौलाधर
  - उत्तराखण्ड – मसूरी/नागटिब्बा
  - नेपाल – महाभारत
  - सिक्किम – डोकया
  - भूटान – ब्लैक माउण्टेन
- मध्य हिमालय तथा वृहत हिमालय के बीच बहुत सी घाटियाँ स्थित हैः–
  - कश्मीर घाटी = वृहद् हिमालय – पीर पंजाल
  - कुल्लू घाटी = वृहद् हिमालय – धौलाधर
  - कांगडा घाटी **(HP)** = वृहद् हिमालय – मसूरी
  - काठमांडू घाटी = वृहद् हिमालय – महाभारत
- इस श्रेणी पर ग्रीष्म ऋतु में शीतोष्ण कटिबन्धीय घास के मैदान पाए जाते है । जिन्हें जम्मू कश्मीर मे **'मर्ग'** तथा उत्तराखण्ड मे **'बुग्याल, पयार'** कहा जाता है ।
- शीत ऋतु के दौरान यह श्रेणी बर्फ से ढक जाती है ।
- इस श्रेणी पर स्थित घास के मैदानों का उपयोग स्थानीय समुदाय अपने पशुओं को चराने के लिए करते है ।
- इस श्रेणी क्षेत्र में बहुत से पर्यटन स्थल पाए जाते है । **e.g.** कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मसूरी आदि ।
- इस श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते है :–
  1. पीरपंजाल दर्रा :– यह दर्रा श्रीनगर को **POK** से जोडता है ।
  2. बनिहाल दर्रा :– श्रीनगर को जम्मू से जोडता है, **NH-1A** इस दर्रे से गुजरता है । इस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है । यह NH44 पर बनाया गया है ।

- 1838 में त्रिगुट का निर्माण किया गया तथा इसमें शाह शुजा, कम्पनी, रणजीत सिंह थे। (प्रथम आंग्ल – अफगान युद्ध से पहले)
- 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई।
- रणजीत सिंह खालसा के नाम से शासन करता था।
- रणजीत सिंह ने गुरु नानक तथा गुरु गोविन्द सिंह नाम के सिक्के चलाये थे।
- रणजीत सिंह धर्म सहिष्णु शासक था।
- वह सूफी संतों का आदर करता था। इसके वित्त मंत्री दीनानाथ तथा विदेश मंत्री अजीजुद्दीन था।
- रणजीत सिंह ने अपने प्रशासन में अनेक यूरोपीयन को शामिल किया था।
  - वन्तूरा – पैदल सेना प्रमुख
  - अलोर्ड – घुडसवार सेना प्रमुख
  - कोर्ट/गार्डनर – तोपखाना प्रमुख (इलाहीबख्श भी तोपखाने का प्रमुख था)
  - एविटेबल – पेशावर का प्रशासक
- इसकी सेना एशिया की द्वितीय सबसे शक्तिशाली सेना थी।
  - रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी
  - खडग सिंह
  - नौनिहाल सिंह
  - शेर सिंह
  - दलीप सिंह

प्रथम आंग्ल – सिख युद्ध (1845–46)

- इस युद्ध में प्रमुख लडाइयाँ
- मुदकी
- फिरोजशाह
- अलीवाल
- बद्धोवाल

सबराओं का युद्ध

- इसमें सिखों की निर्णायक हार हुई। अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया।

लाहौर की संन्धिः (9 मार्च 1846)

- दलीप सिंह को राजा मान लिया गया।
- रानी जिन्दा को संरक्षिका बना दिया गया।
- लाल सिंह को वजीर बना दिया गया।
- हेनरी लॉरेन्स को रेजीडेन्ट बना दिया गया।
- 1.5 करोड रुपये युद्ध हर्जाना।
- सिखों की सेना को सीमित कर दिया गया।

(20,000 पैदल, 12000 घुडसवार ही सेना में होंगे)

- 11 मार्च 1846 को पूरक सन्धि की गई तथा कहा गया कि इस वर्ष के अन्त तक अंग्रेजी सेना लाहौर में रहेगी।

भैरोवाल की सन्धि (22 दिसम्बर 1846)

- जब तक दलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता है तब तक अंग्रेजी सेना लाहौर में रहेगी।
- रानी जिन्दा को शेखपुरा भेज दिया गया (पेंशन देकर)
- इस युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम था।

द्वितीय आंग्ल – सिख युद्ध (1848–1849)

- कारण – मुल्तान के गवर्नर – मूलराज, हजारा के गवर्नर चतर सिंह ने विद्रोह कर दिया था।
- डलहौजी ने गफ के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण कर दिया।

प्रमुख युद्ध

- चिलियानवाला का युद्ध। यह अनिर्णायक युद्ध था। डलहौजी ने गफ को हटाकर नेपियर को पंजाब भेजा।
- गुजरात का युद्ध (पंजाब) या तोपों का युद्ध। इस युद्ध में सिखों की निर्णायक हार हुई। डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया।
- हेनेरी लॉरेन्स ने इस विलय के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा ले लिया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन पढने के लिए भेज दिया। दलीप सिंह वहाँ जाकर ईसाई बन गया था।

गवर्नर जनरल

1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया।

गर्वनर जनरल का क्रम

(1) वॉरेन हेस्टिंग्स (1772–85)
(2) लॉर्ड कॉर्नवालिस (1786–93)
(3) जॉन शोर (1793–98)
(4) वेलेजली (1798–1805)
(5) जॉर्ज बारलो (1805)
(6) लॉर्ड मिन्टो 1 (1805–07)
(7) लॉर्ड हेस्टिंग्स (1807–13)
(8) जॉन एडम्स (1823)
(9) लॉर्ड एमहर्स्ट (1823–28)

वारेन हेस्टिंग्स (1772–1785)

- 1772 में इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1773 में रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।
- 1772 में "कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स" के अनुसार इसने बंगाल से द्वैध शासन समाप्त किया।
- यहाँ अपने राजस्व सुधारों तथा न्यायिक सुधारों के लिए जाना जाता है।
- हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद कर दी।
- रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा इसके समय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
- 1784 में पिट्स इण्डिया एक्ट के विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया।
- 5 वर्षीय ठेका प्रणाली (Contract System) शुरु किया गया।
- नये जमीदारों को ठेके दिये गये थें।
- नये जमीदार अनुभवहीन थे इसलिए यह व्यवस्था असफल रहीं।
- 1776 में इस व्यवस्था को बन्द करके एक वर्षीय ठेका प्रणाली शुरू की गई तथा इसमें पुराने जमीदारों को ठेके दिये गयें।
- 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। (1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के अनुसार)
- इसमें अंग्रेजी कानून ही लागू होते थे तथा इसका क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता क्षेत्र ही था।
- यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो बाहर का मामला भी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है।
- प्रमुख न्यायाधीश (कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट)
  - एलिजा इम्पे (मुख्य न्यायाधीश)
  - चैम्बर्स
  - लीमेस्टर
  - हाइड
  - फतवा – ए – आलमगीर का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया।
  - Code of Gentoo Laws (हिन्दी कानूनों का संकलन)
  - विलियम जोन्स तथा कोलब्रुक ने Digest of Hindu Laws नामक पुस्तक लिखी।
- 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में।
- Asiatic Society of Bengal की स्थापना की। इस संस्था का कार्य भारतीय पुस्तकों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद करना था।
- विलकिन्स ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- यह अवध की बेगमों से धन प्राप्त किया करता था। (लूटता था)
- बनारस में धन के बदले चेतसिंह को हटाकर उसके भतीजे महीपनारायण को राजा बना दिया।
- बंगाली ब्राह्मण नन्दलाल को मृत्युदण्ड दिलवाया था। (जालसाजी के आरोप में फंसा कर)
- एडमण्ड बर्क ने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया था।

लॉर्ड कार्नवालिस (1786–1793)

- अपने न्यायिक सुधारों के तहत इसने सर्वप्रथम जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केन्द्रित कर दी।
- कार्नवालिस ने भारत में सर्वप्रथम "कानून की विशिष्टता" का नियम लागू किया।
- 1793 में कार्नवालिस ने "कार्नवालिस कोड" का निर्माण कराया जो 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धान्त पर आधारित था।
- कार्नवालिस को "पुलिस सुधारो का जनक" भी कहा जाता है।
- इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया।
- कार्नवालिस को भारत में "नागरिक सेवा का जनक" माना जाता है।

लॉर्ड वेलेजली (1798–1805)

- यह अपनी सहायक संधि के कारण प्रसिद्ध हुआ।
- इसके समय "चतुर्थ आंग्ल–मैसूर युद्ध" (1799) में हुआ।
- नागरिक सेवाओं के प्रशिक्षण हेतु इसने 1800 में कलकत्ता में "फोर्ट विलियम कॉलेज" की स्थापना की।
- इसे "बंगाल का शेर" उपनाम से भी जाना जाता है।
- 1801 में इसके समय मद्रास प्रेसीडेन्सी का सृजन किया गया।
- इसने नेपोलियन को रोकने हेतु भी एक दस्ता भेजा।

सहायक संधि करने वाले राज्य

हैदराबाद	–	1798
मैसूर	–	1799
तंजौर	–	1799
अवध	–	1801
पेशवा	–	1802
बरार	–	1803
ग्वालियर (सिंधिया)	–	1804

जॉर्ज बॉरलो (1805–07)

- 1806, वैल्लोर विद्रोह (मद्रास)
- कारण – अंग्रेजों द्वारा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग बन्द कर दिया था। उस समय मद्रास का गवर्नर विलियम बैन्टिक था। इसने प्रेस पर प्रतिबन्ध को विद्रोह का कारण बताया था।

लार्ड मिन्टो (1807–13)

- 1809, अमृतसर की संधि।
- पर्शिया के शाह से एक संधि की जिसके अनुसार कोई भी विदेशी सेना उसकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्र में नहीं गुजर सकती।

लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813–23)

- बिना बराबरी के स्तर पर मुगल बादशाह से मिलने से मना कर दिया।

प्रथम आंग्ल – नेपाल युद्ध : (1814–16)

- सुगौली की सन्धि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ।

सन्धि की शर्ते

- शिमला नैनिताल, रानीखेत, कुमाऊँ आदि पर अंग्रेज ने अधिकार कर लिया।
- नेपाल का सिक्किम से अधिकार समाप्त कर दिया गया काठमाण्डू में अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई।
  - इस युद्ध के बाद गोरखे अंग्रेजी सेना में शामिल होने लगे तथा 1857 की क्रान्ति में अंग्रेजों के वफादार थे।
  - लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिण्डारियों का उन्मूलन किया था।
  - उत्तरी सेना का नेतृत्व – हेस्टिंग्स
  - दक्षिणी सेना का नेतृत्व – टॉमस हिसलोप

पिण्डारियों के मुख्य नेता

- चीतू (जंगल में चीता खा गया था)
- वासिल मुहम्मद (जेल में आत्महत्या कर ली)
- करीम खाँ (गोरखपुर की जागीर दी गई थी)
- अमीर खाँ (टोंक की जागीर दी गई थी)
- मेल्कम ने पिण्डारियों को मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते कहा था।
- इस समय दक्षिण भारत में रैय्यतवाडी तथा उत्तर भारत में महालवाडी नामक भू-राजस्व व्यवस्था शुरू की गई।

जॉन एडमस (1823)

- इसने प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।
- राजाराम मोहनराय के 'मिरातुल अखबार' को बन्द कर दिया था।

लॉर्ड एमहर्स्ट (1823–28)

- यह पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मिला।

प्रथम आंग्ल – बर्मा युद्ध (1824–26)

- 'यान्दबू की सन्धि' द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ।
- इस युद्ध के समय बैरकपुर छावनी के 47 NI (Native Infantry) के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि वे समुद्री यात्रा नहीं करना चाहते थें। (कलिवड्ये नियम)

भारत के गवर्नर जनरल

- 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
- 'विलियम बैंटिक' भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था।

गवर्नर का क्रम : (भारत के गवर्नर जनरल)

(1) विलियम बैंटिक (1828–35)
(2) चार्ल्स मेटकॉफ (1835–36)
(3) लॉर्ड ऑकलैण्ड (1836–42)
(4) लॉर्ड एलनबरो (1842–44)
(5) लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम (1844–48)
(6) लॉर्ड डलहौजी (1848–56)

विलियम बैन्टिक (1828–35)

- भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
- यह 'व्हीग दल' का सदस्य था।
- यह बेन्थम के उपयोगितावाद सिद्धान्त में विश्वास रखता था।
- 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दी। यह रोक राजा राममोहनराय के प्रयासों से लगी थी।
- राधाकान्त देव ने इस प्रतिबन्ध का विरोध किया था। इसके संगठन का नाम धर्म सभा था।
- विलियम बैंटिक ने ठग प्रथा का उन्मूलन किया था। ''कर्नल स्लीमैन'' के नेतृत्व में इसका उन्मूलन किया था।

- इन्होने अफीम के व्यापार का नियमन किया था । केवल बॉम्बे बन्दरगाह से अफीम का व्यापार किया जा सकता था ।
- कार्नवालिस द्वारा स्थापित भ्रमणशील अदालतों को बन्द कर दिया था ।
- न्यायालय में स्थानीय भाषाओं (फारसी के स्थान पर) का प्रयोग भी किया जा सकता हैं ।
- 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ।

आंग्ल – प्राच्य विवाद

- 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये दिये गये । लेकिन इनके उपयोग को लेकर विवाद हो गया ।
- लोकशिक्षा समिति के 5 सदस्य अंग्रेजी के समर्थक थे तथा शेष 5 सदस्य संस्कृत व फारसी के समर्थक थे ।
- बैंटिक ने मैकाले को लोकशिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया ।
- 2 फरवरी 1835 को मैकाले स्मरण पत्र जारी किया गया । मैकाले ने अपना प्रसिद्ध विप्रवेशन/ निस्यंदन/ टपक/ छनन/ बूंद-बूंद सिद्धान्त दिया ।
- इसके तहत भारतीय उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में पाश्चात्य शिक्षा दी जायेगी । उच्च वर्ग से यह शिक्षा टपक-टपक कर / छन-छन कर जनसाधारण तक पहुँच जायेगी । 7 मार्च 1835 को इस सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार कर लिया ।
- कालान्तर में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैण्ड द्वारा इसे लागू किया गया ।

समिति के अंग्रेजी समर्थक	प्राच्य समर्थन
बैंटिक	जेम्स प्रिंसेप
मैकाले	थॉमस प्रिंसेप
मुनरो	विल्सन एलफिन्सटन
ट्रेवेलियन	राजा राम मोहनराय

अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के कारण

- कम्पनी को सस्ते कर्मचारी चाहिये थे ।
- कम्पनी अपने प्रशासनिक सुधारों को आसानी से लागू करना चाहती थी ।
- शिक्षा के माध्यम से भारतीयों की मानसिकता बदली जाये ताकि वे अंग्रेजी राज के समर्थक बन जायें ।
- अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक बन जायेंगे जिससे अंग्रेजों का व्यापार – वाणिज्य बढेगा ।
- अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना चाहते थे ।
  - 1835 में अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा बना दिया गया ।
  - बैंटिक प्रेस पर प्रतिबन्ध के खिलाफ था ।

बैंटिक ने 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग तथा कछार } को अंग्रेजी रियासत में मिला लिया गया था ।

- मैकाले विधि सदस्य के रूप में भारत आया था ।

(1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार)
भारत में 'कानूनों का संहिताकरण' करता हैं ।

चार्ल्स मैटकॉफ (1835–36)

- चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता हैं ।
- इसने 1818 में राजस्थानों की रियासतों के साथ सन्धि करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था ।

लॉर्ड ऑकलैण्ड (1836–42)

प्रथम आंग्ल – अफगान युद्ध (1839–42)

- कारण – अफगानिस्तान का राजा दोस्त मोहम्मद रूस से दोस्ती कर रहा था ।
- कलकत्ता से दिल्ली के बीच जी.टी. रोड का पुनर्निमाण करवाता हैं ।

लॉर्ड एलनबरो (1842–44)

- 1843 में सिन्ध का विलय किया गया ।
  यह विलय नेपियर के नेतृत्व में हुआ था ।
- 1843 में दास प्रथा (धारा-5) पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।(यह घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी ।)

लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम (1844–48)

- प्रथम आंग्ल सिख युद्ध (1845–46)

लॉर्ड डलहौजी (1848–56)

- डलहौजी आधुनिक भारत के मानचित्र का निर्माता था ।
- डलहौजी ने भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था ।

युद्ध द्वारा किये गये विलय

- पंजाब (1849)
- सिक्किम (1850)
- लॉअर बर्मा व पीगू (1852)

शान्तिपूर्ण तरीके से किये गये विलय गोद निषेध नीति / व्ययगत / हडप नीति

- डलहौजी ने भारतीय रियासतों को 3 भागों में बाँटा
  (i) वे रियासतें जो अंग्रेजों के आने के समय स्वतंत्र थी तथा बाद में अंग्रेजों से सन्धियाँ कर लेती हैं ।
  (ii) वे रियासते जो पहले मुगलों एवं मराठों के अधीन थी तथा अभी वे अंगेजों के अधीन हैं ।
  (iii) अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई रियासतें ।
- पहली रियासतों को गोद लेने का अधिकार है, दूसरी व तीसरी रियासतों को गोद लेने से पहले पूछना पडेगा ।
- दूसरी रियासतों को वैसे यथासंभव अनुमति दे दी जायेगी लेकिन तीसरी रियासतों का विलय कर लिया जायेगा ।

1848 – सतारा
1849 – जैतपुर / संभलपुर
1850 – बघाट
1852 – उदेपुर (एम.पी)
1853 –झाँसी
1854 – नागपुर
1855 – करौली

- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर करौली वापस दे दिया गया था ।
- 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था । यह विलय आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था ।
- 1851 में डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि एक दिन यह चेरी (ग्लासफल) हमारे मुँह में आकर गिरेगी ।
- अवध के राजा वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया जाता था ।
  इस राजा पर प्रेमचंद की एक कहानी है – शतरंज के खिलाडी
- 1853 में बकाया धन के बदले हैदराबाद से बरार छीन लिया ।
- 1853 में पेशवा बाजीराव – द्वितीय के पुत्र नानासाहब की पेंशन बन्द कर दी ।
- 1853 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन बन्द कर दी थी ।
- तंजौर के राजा की उपाधि छीन ली थी । (1855 में)
- मुगल बादशाह की उपाधि छीनने का प्रयास किया था तथा लाल किला खाली करने के आदेश दिये थे ।

डलहौजी के सुधार

(i) 1852 में भारत में तार सेवा शुरू की थी ।
तार विभाग का प्रमुख श्री शेघने सी
(ii) 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू की ।
पहली रेल बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी ।
इंजन – फेयरी क्विन
(iii) 1854 में डाक सेवा शुरू की थी ।
(डाक टिकट 2 पैसे का होता था)
  - डलहौजी ने सैनिकों के लिए भी डाक टिकट अनिवार्य कर दिया था ।

(iv) 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) बनाया गया ।
(v) 1854 में शिक्षा में सुधार किये थे ।
  - ये सुधार चार्ल्स वुड के नेतृत्व में किये गये थे इसलिए इन्हें वुड डिस्पैच कहा जाता है ।
  - चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल का अध्यक्ष था ।

वुड डिस्पैच के मुख्य प्रावधान

(i) अंग्रेजी शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है ।
(ii) प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाये तथा माध्यमिक शिक्षा (5–10) अंग्रेजी तथा स्थानीय दोनों भाषा में दी जायें तथा उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए ।
(iii) जिला स्तर पर एंग्लोवनीक्युलर (दोनों भाषा में) स्कूल खोले जायें ।
(iv) पाँचों प्रान्तों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जायें तथा इनमें कमीश्नर नियुक्त किया जाये जो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
(v) कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास में यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) खोले जायें ।
(vi) अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायें ।
(vii) महिला शिक्षा को बढावा दिया जाये ।
(viii) तकनीकी शिक्षा को बढावा दिया जायें ।
(ix) व्यवसायिक शिक्षा को बढावा दिया जायें ।

- वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाताहै ।

डलहौजी के प्रशासनिक सुधार

- नये जीते गए क्षेत्रों में Non-Regulation Arrangement लागू किया गया तथा इनमें कमीश्नर की नियुक्ति की जाती थी जो सीधा गवर्नर जनरल (GG) के प्रति उत्तरदायी होगा ।

सैनिक सुधार

- सैनिक मुख्यालय कलकत्ता से शिमला लाया गया ।
- तोपखाना कलकत्ता से मेरठ लेकर आया ।
- सिखों एवं गोरखों की संख्या सेना में बढा दी ।
- सेना में यूरोपियनस की संख्या भी बढाई गई ।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य

1. कार्यकारी **(Executive)**
2. विधायी **(Legislative)**
3. वित्तीय **(Financial)**
4. न्यायिक **(Judicial)**
5. कूटनीतिक
6. सैन्य
7. आपातकालीन

1. <u>कार्यकारी शक्तियाँ</u> – चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है अतः शासन संबंधी सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति की ओर से ही किये जाते है ।

राष्ट्रपति के नाम पर किये जाने वाले कार्य किस प्रकार प्रामाणिक रहेंगे, इसके लिए नियम राष्ट्रपति बना सकता है ।

केन्द्र सरकार का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति का यह अधिकार व दायित्व है कि वह केन्द्र सरकार के संचालन संबंधी तथा विभिन्न मंत्रियों में दायित्वों के बँटवारे संबंधी नियम बना सकता है ।

वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियो की नियुक्ति करता है तथा वे सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त कार्य करते है ।

अनेक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करता है जैसे– CAG, CVC, UPSC Chairman etc. वह केन्द्र सरकार के कार्य संबंधी अथवा सरकार द्वारा कानून संबंधित प्रस्तावों की सूचना प्रधानमंत्री से माँग सकता है ।

यदि किसी सन्दर्भ में किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया हो किन्तु मंत्रिपरिषद् ने उस पर विचार न किया हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह कह सकता है कि ऐसे प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् में विचार के लिए प्रस्तुत करवाये ।

SC, ST एवं OBC की दशा जानने के लिए आयोग की स्थापना करता है ।

केन्द्र राज्य संबंधो एवं विभिन्न राज्यो के मध्य परस्पर संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना करता है ।

केन्द्रशासित प्रदेशो का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासको के माध्यम से स्वयं चलाता है ।

राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते है । उनके बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है क्योकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का नेता प्रमुख होता है अर्थात् यह निर्णय मंत्रिपरिषद् का होता है जिस पर प्रधानमंत्री की मध्यस्थता से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते है ।

2. <u>विधायी शक्तियाँ</u> – चूंकि राष्ट्रपति विधायिका का भी एक भिन्न अंग है अतः उसे विधायिका के संदर्भ में निम्न शक्तियाँ प्राप्त है ।
   (i) यह संसद को आहूत (बुलाना) कर सकता है अथवा सत्र को समाप्त कर सकता है (सत्रावसान) तथा लोकसभा को भंग कर सकता है (प्रधानमंत्री की सलाह पर) ।
   (ii) यह संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है ।
   (iii) वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्रमें संसद को संबोधित कर सकता है
   (iv) लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में संबंधित सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता के लिए कह सकता है ।
   (v) राष्ट्रपति संसद के किसी के दोनों सदनों को किसी विधेयक के संदर्भ में अथवा अन्य कारणों से भी संदेश भेज सकता है ।
   (vi) साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है ।
   (vii) आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करता है ।
   (viii) चुनाव आयोग की सलाह से संसद सदस्यों की निरर्हरता पर निर्णय करता है दल बदल कानून के अन्तर्गत लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है ।

<u>आर्टिकल 123 – अध्यादेश जारी करने की शक्ति</u>

- जब संसद के किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तथा कानून बनाना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है । यह संसद के कानून के समक्ष होता है । यह राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है ।
- अध्यादेश लागू करने की परिस्थितियों का निर्णय स्वयं राष्ट्रपति करता है ।

- न्यायालय इस आधार पर विचार कर सकता है कि इसमें राष्ट्रपति का असद्भाव नियत खराब तो नही है ।
- यह संसद के सत्र के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहता है । यदि संसद चाहे तो 6 सप्ताह से पूर्व भी इसे समाप्त कर सकती है अर्थात् अध्यादेश अधिकतम 6 माह/6 सप्ताह तक लागू रह सकते है ।
- लोकसभा के नियमानुसार जब अध्यादेश को कानून बनाने वाला विधेयक प्रस्तुत हो तो साथ में उन कारणों को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिनके कारण अध्यादेश लाना पडता था ।
- संविधान में संशोधन अध्यादेश के माध्यम से नही किया जा सकता क्योंकि संविधान संशोधन के लिए संसद का $^{2}/_{3}$ बहुमत अनिवार्य जो कि राष्ट्रपति बहुमत से प्राप्त होता है ।

3. <u>वित्तीय शक्तियाँ</u>
   (i) धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है ।
   (ii) अनुदान की कोई भी माँग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है ।
   (iii) भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालने का आदेश दे सकता है ।
   (iv) राजस्व का केन्द्र एवं राज्यों में वितरण करने के सिद्धान्तों की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग गठित करता है ।

4. <u>न्यायिक शक्तियाँ</u>
   (i) राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशो व अन्य न्यायाधीशो की नियुक्ति करता है ।
   (ii) सुप्रीम कोर्ट से किसी तथ्य अथवा कानून के प्रश्न पर सलाह माँग सकता है ।
   किन्तु S.C. द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है ।
   (iii) राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ – संविधान में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिये गये हो –
   (a) केन्द्रीय कानून के विरूद्ध किसी अपराध के लिए दिये गये दण्ड में ।
   (b) सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड में ।
   (c) मृत्यु दण्ड में ।

यह शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है अर्थात् एक कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने में न्यायालय की तरह व्यवहार नही करता इसके दो उद्देश्य है –
1. न्यायिक गलती को सुधारने में ।
2. यदि राष्ट्रपति को लगता है कि दण्ड अत्यधिक कठोर दिया गया है तो उसे कम करने में क्षमादान की शक्ति में निम्नलिखित सम्मिलित है –
   (i) <u>क्षमा **(Pardon)**</u> यह अपराधी को दण्ड एवं दोष सिद्धि दोनो से मुक्ति प्रदान करता है तथा व्यक्ति को सभी निरर्हताओ में से मुक्त करता है ।
   (ii) <u>लघुकरण **(Commutation)**</u> इसमें राष्ट्रपति दण्ड का स्वरूप बदल सकता है । मृत्युदण्ड को कारावास में बदलना ।
   (iii) <u>परिहार **(Remission)**</u> इसमें दण्ड के स्वरूप को न बदलने दण्ड की मात्रा कम कर देता है जैसे– 10 साल के स्थान पर 5 साल की जेल करना ।
   (iv) <u>विराम **Resapite**</u> किसी विशेष तथ्य के कारण यथा शारीरिक अपंगता अथवा अन्य कारण जैसे– वृद्धावस्था, गर्भवती महिला आदि में मूल दण्ड को कम करना । इसमें स्वरूप भी बदल सकता है समय भी कम किया जा सकता है ।
   (v) <u>प्र–विलम्बन **(Reprieve)**</u> किसी दण्ड पर मुख्यतः मृत्यु दण्ड पर अस्थायी रोक लगाना जिससे अपराधी को क्षमा अथवा लघुकरण की अपील का समय मिल सके ।

<u>सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित सिद्धान्त</u>
(i) सुनवाई राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अन्तर्गत अपराधी को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है ।
(ii) राष्ट्रपति को अपने आदेश का कारण बताने की आवश्यकता नही है । सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन नही करेगा किन्तु यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी अतार्किक, असद्भावपूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण होगा तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है ।
(iii) सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बंध में विस्तृत निर्देश जारी करने से मना किया ।

राज्यपाल के पास क्षमा की शक्ति नही है लघुकरण परिहार बिराम तथा निलम्बन की शक्ति प्राप्त है ।

5. कूटनीतिक शक्तियाँ /राजनायिक शक्तियाँ
अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते है यद्यपि संसद की अनुमति अनिवार्य होती है राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय मैचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है सभी देशो में राजदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है ।

6. सैन्य शक्तियाँ – सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति जल सेना, थल सेना व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है ।

7. आपातकालीन शक्तियाँ – निम्न तीन तरह की आपात स्थिति में राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई ।
(i) राष्ट्रीय आपातकाल– अनु. 352
(ii) राष्ट्रपति शासन– अनु. 356
(iii) वित्तीय आपात– अनु. 360

राष्ट्रपति की वीटो (निषेधाधिकार) शक्ति

जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के समान हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते है –
(i) अपनी स्वीकृति देना
(ii) अपनी स्वीकृति को रोकना
(iii) विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेजना धन विधेयक न हो तो
- यदि संसद संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के भी विधेयक को पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य है ।

उद्देश्य (वीटो शक्ति का)

1. किसी असंवैधानिक विधान को रोकना ।
2. जल्दबाजी में बनाये गये एवं संसद द्वारा बिना विचार के बनाये गये कानून रोकना ।

आत्यंतिक वीटो

राष्ट्रपति द्वारा अपनी स्वीकृति रोकने को आत्यंतिक वीटो कहा जाता है । सामान्यतः राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग दो स्थितियों में करता है –
(i) निजी विधेयक पर (मंत्री के अतिरिक्त अन्य किसी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर)
(ii) यदि मंत्रिपरिषद् त्यागपत्र दे देती है तथा विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है तो नई मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए मना कर सकती है ।

उदाहरण
1954 में पीईपीएसयू एक राज्य था पटियाला के पास विनियोग विधेयक के लिए राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया ।

1991 में सांसदों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बिल के लिए राष्ट्रपति R. वेंकटरमन ने स्वीकृति रोक ली थी ।

निलम्बनकारी वीटो

राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने को निलम्बनकारी वीटो Suspensive Veto कहते है धन विधेयक को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सदन में प्रस्तुत किये जाते है ।

जेबी वीटो

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यदा–कदा जेबी वीटो पोकेट वीटो का भी उपयोग करता है इसमें राष्ट्रपति न तो स्वीकृति देता है न ही अस्वीकृति देता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है यह इसलिए संभव है क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति निर्णय लेने की कोई समय सीमा नही दी गई ।

उदाहरण
1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने भारतीय डाक अधिनियम संशोधन विधेयक में इसका प्रयोग किया इसमें प्रेस पर कडे प्रतिबंध प्रस्तावित थे ।

संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है (21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971) ।

राष्ट्रपति किसी भी नियम के लिए अध्यादेश ला सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो लेकिन संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नही ला सकता क्योंकि संविधान संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यो का $^{2}/_{3}$ बहुमत कुल संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए ।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति – भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति को नाममात्र का शासक बनाया गया है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है अर्थात् राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करना होता है ।
- यद्यपि अमेरिका में भी राष्ट्रपति का पद है किन्तु वह भारत से पूरी तरह भिन्न है वहाँ अध्यक्षात्मक

शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है तथा प्रशासन की सारी वास्तविक शक्ति इसमें निहित होती है ।

- भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुसार राजा के पद के समान राष्ट्रपति का पद बनाया गया है जो देश का प्रमुख होता है किन्तु कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है ।
- मूल संविधान में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने की बाध्यता का उल्लेख नही था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह जोडा गया किन्तु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें यह परिवर्तन कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् को एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक भेज सकता है यदि मंत्रिपरिषद् संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के भी प्रस्ताव भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना अनिवार्य है ।
- यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति को कोई विवेकाधिकार नही दिये गये है किन्तु राष्ट्रपति को कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हो जाते है ।
  (i) किसी दल को स्पष्ट बहुमत नही मिलने की स्थिति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में तथा प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में नये प्रधानमंत्री के चयन में ।
  (ii) यदि मंत्रिपरिषद् लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नही कर पाते है तो मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त करने का निर्णय लेने में ।
  (iii) यदि मंत्रिपरिषद् अपना बहुमत खो देती है तो लोकसभा भंग करने में ।

आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद् होगी जिसमें प्रमुख प्रधानमंत्री होगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करेगा ।

उपराष्ट्रपति

अमेरिका के संविधान से लिया ।

- उपराष्ट्रपति भारत में द्वितीय स्थान का पद है ।

चुनाव

राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्यो से बने निर्वाचक मण्डल द्वारा 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान' द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ।

मूल संविधान में चुनाव के लिए लोकसभा एवं राज्य सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान था जिसे 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया ।

योग्यता

- भारत का नागरिक हो ।
- कम से कम आयु 35 वर्ष हो ।
- राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ।
- लाभ का पद नही हो (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यपाल व मंत्री लाभ के पद नही माने जाते है) ।
- 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए ।

शपथ

- संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा ।
- पद एवं कर्त्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करना । उदाहरण– शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा लेता है ।

शर्ते

- विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
- कोई अन्य लाभ का पद नही हो ।

कार्यकाल

- कार्य ग्रहण करने से 5 वर्ष ।

त्यागपत्र

राष्ट्रपति को देता है ।

- पद से हटाने के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नही है । यदि हटाना चाहे तो राज्यसभा में 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ राज्यसभा के प्रभावी बहुमत सदन की कुल जनसंख्या में से अनुपस्थित व रिक्तियों के छोडकर से प्रस्ताव पास होना चाहिए तथा प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति (उपस्थित एवं मतदान करने वालो बहुमत होना चाहिए) हो तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है ।
- उपराष्ट्रपति पद पर रिक्ति यदि कार्यकाल पूर्ण होने के कारण होती है तो पूर्ण उपराष्ट्रपति नये उपराष्ट्रपति के कार्यग्रहण तक कार्यरत रहता है चाहे 5 वर्ष से अधिक हो गये हों ।
- अन्य कारणो से रिक्ति होने पर शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जाते है ।
- सारे चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे निर्वाचन मण्डल में किसी रिक्ति का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।

उपराष्ट्रपति का कार्य

- राज्यसभा का सभापति
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य देखता है जब राष्ट्रपति का कार्य देखेगा तो

उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा का उपसभापति देखेगा ।

यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति को अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान बनाने का प्रयास किया गया है जो सीनेट का अध्यक्ष होता है किन्तु मुख्य अन्तर यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के पद की रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल राष्ट्रपति के नये रूप में पूरा करता है जबकि भारत में उपराष्ट्रपति नये राष्ट्रपति के कार्यग्रहण तक एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है ।

उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते

राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते (4 लाख + भत्ते) मिलते है ।

जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते प्राप्त करता है ।

बहुमत

1. साधारण बहुमत
   उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 50 प्रतिशत से ज्यादा मत जैसे – 100 सदस्य– 10 पद रिक्त, 40 अनुपस्थित 10 ने वोट नहीं दिया तो कुल बचे 40, 40 में से 21 सदस्य– साधारण बहुमत सदन की कुल संख्या ।

2. प्रभावी बहुमत
   अनुपस्थित (सदन की कुल संख्या में से रिक्त व अनुपस्थिति को घटाने के बाद बहुमत ।

3. आत्यन्तिक बहुमत
   कुल सदस्यों की संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक ।

राष्ट्रपति द्वारा निम्न को नियुक्ति तथा त्यागपत्र दिया जाता है ।

नियुक्ति	त्यागपत्र/ राष्ट्रपति द्वारा हटाना
प्रधानमंत्री/मंत्रिपरिषद्	√
राज्यपाल	√
महान्यायवादी	√
संघ लोक सेवा आयोग	√
राज्य लोक सेवा आयोग	√
मुख्य न्यायाधीश (उच्च तथा उच्चतम न्यायालय)	इनको संसद हटाती है महाभियोग द्वारा ।
मुख्य निर्वाचन आयोग	√
वित्त आयोग	√
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	√
केन्द्रीय सूचना आयोग	√
राष्ट्रीय महिला आयोग	√
राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग	√
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	√
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	√
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग RBI के गवर्नर की नियुक्ति	√

4. विशिष्ट बहुमत
   कुल संख्या का 50 प्रतिशत व उपस्थित संख्या $^2/_3$ होना चाहिए ।

   विशिष्ट बहुमत से तात्पर्य ऐसे बहुमत से है जिसमें उपर्युक्त तीन प्रकार के बहुमतों का मिश्रण हो अथवा बहुमत की अन्य कोई शर्त हो ।

प्रधानमंत्री

- संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है ।
- संविधान में प्रधानमंत्री के चयन के विषय में कोई प्रावधान नही है ।
- अनु. 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा । राष्ट्रपति सामानयतः लोकसभा के बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है किन्तु यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नही मिलता है तो राष्ट्रपति सबसे अधिक संख्या पाने वाले दल अथवा गठबंधन को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा उसे एक माह में लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है ।
- यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नही होने की स्थिति में राष्ट्रपति को अपने विवेक से काम करते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त करना पडता है किन्तु यदि प्रधानमंत्री के मृत्यु होते ही सत्ता पक्ष अपने नये नेता को चुन लेता है तो राष्ट्रपति को उसे प्रधानमंत्री बनाना होगा ।
- न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करना आवश्यक नही है अपितु राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के पर्याप्त समय में विश्वास मत प्राप्त किया जा सकता है ।
- जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को बिना सदन की सदस्यता के मंत्री बनाया जा सकता है उसी प्रकार

भारतीय निर्यात–आयात बैंक

(The Export-Import bank of India)

- भारतीय निर्यात–आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी, 1982 को की गयी थी ।
- इस बैंक की स्थापना से पूर्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग निर्यात तथा आयात की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था ।
- भारतीय निर्यात–आयात बैंक का उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इसके अलावा इसे उन सभी वित्तीय संस्थानों के काम का समन्वय करने का कार्य भी सौंपा गया, जो वस्तुओं के एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त जुटाते हैं । यह बैंक न केवल भारत, बल्कि तृतीय विश्व के देशों के लिए भी वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त का प्रबंध करते हैं ।
- इसका प्रधान कार्यालय मुम्बई (महाराष्ट्र) में है । भारतीय निर्यात – आयात बैंक के विदेशों में कार्यालय वाशिंगटन, सिंगापुर, शाबिदजान (भाइबरी कोस्ट) तथा बुडापेस्ट (हंगरी) में स्थापित किये गये हैं ।

नवरत्न (Navratanas)

विश्व स्तर अपनी पहचान बनाने वाले देश के कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार ने देश के 'नवरत्नों' के रूप में मान्यता दी है ।

इन्हें 1,000 रुपये करोड या अपनी नेटवर्थ के 15 प्रतिशत तक के सौदे करने की स्वायतता सरकार द्वारा दी गई है –

1. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NLCL)
2. ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL)
3. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL)
4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)
5. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
6. नेशनल ऐल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO)
7. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL)
8. भारत इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (BEL)
9. हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड (HAL)
10. पावर फाइनेंस लिमिटेड (PFC)
11. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC)
12. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)
13. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RECIL)
14. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL)
16. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC)
17. कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL)

विनियोग संस्थान

(Investment Institutions)

भारतीय इकाई न्यास (Unit Trust of India)

- फरवरी, 1964 में औपचारिक रूप से इकाई न्यास की स्थापना हुई ।
- इकाई व्याप्त की आरम्भिक पूँजी पाँच करोड रुपये थी । इसके हिस्से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अनुसूचित एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकार किये गए ।
- न्यास के दो प्राथमिक उद्देश्य है –
  1. मध्यम तथा निम्न आय वर्गों की बचत को प्रोत्साहित करना और फिर इन बचतों को एकत्रित करना ।
  2. उन्हें देश में बढते हुए औद्योगीकरण से प्राप्त समृद्धि के लाभों में हिस्सा बँटाने के योग्य बनाना ।
- 14 जनवरी, 2003 को यू.टी.आई. म्यूचुअल फंड कम्पनी का गठन किया गया । इसका मुख्यालय मुबंई मे स्थित है ।

बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA)

1. मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद 1999, में बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण का गठन किया गया ।
2. अप्रैल, 2000 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया ।
3. IRDA के प्रमुख उद्देश्य – प्रतिस्पर्धा को बढावा देना ताकि बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता की पसंद और कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि को बढाया जा सके ।
4. IRDA का मुख्यालय तेलंगाना, हैदराबाद में स्थित है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

(Life Insurance Corporation of India)

- सर्वप्रथम 1818 में एक ब्रिटिश फर्म ने कलकता में ओरियण्टल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की स्थापना की थी ।
- 1956 में पाँच करोड रूपये की भारत सरकार की पूँजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई ।
- यह निगम जनसाधारण से बीमा करने के आधार पर भारी मात्रा में राशियाँ एकत्र करता है और अपने साधनों का एक भाग निगम क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए प्रयुक्त करता है या बाजार से औद्योगिक प्रतिभूतियाँ, हिस्से एवं ऋण-पत्र प्राप्त कर लेता है ।
- भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुम्बई में स्थित है ।

भारतीय साधारण बीमा निगम

(General Insurance Corporation of India)

- भारत में पहले सामान्य बीमा कम्पनी 'टाइटन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड' कलकता में 1850 में स्थापित की गयी थी । इस कम्पनी के अधिकांश शेयर अंग्रेजों के थे । भारतीय द्वारा इस प्रकार की पहली कम्पनी इण्डियन मर्केन्टाइल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई में 1907 में स्थापित की गयी ।
- 1 जनवरी, 1973 को भारत सरकार ने सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 के तहत् सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ।
- भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) – इसका गठन सामान्य बीमा के व्यवसाय के अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन के उद्देश्य से किया गया था ।
- नवम्बर, 1972 में भारत सरकार ने भारतीय साधारण बीमा निगम के नाम से एक सरकारी कम्पनी की स्थापना की, जिसने 1 जनवरी, 1973 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया ।
- साधारण बीमा निगम की पूँजी का अभिदान (subscription) भारत सरकार करती है तथा चार सहायक कम्पनियाँ की पूँजी का अभिदान भारतीय साधारण बीमा निगम करता है ।

राजकोषीय नीति

- सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीतियाँ राजकोषीय नीतियाँ कहलाती हैं ।
- भारत की कर व्यवस्था, बजट प्रणाली, बजट घाटे और घाटों के वित्त पोषण संबंधी नियम राजकोषीय नीति के अन्तर्गत रखे जाते हैं ।

बजट

सरकारी बजट

राजस्व बजट → राजस्व प्राप्तियाँ
- कर राजस्व
- गैर कर राजस्व व्यय

राजस्व व्यय

पूँजीगत बजट → पूँजीगत प्राप्तियाँ
- योजनागत राजस्व व्यय
- गैर योजनागत राजस्व व्यय

पूँजीगत व्यय
- गैर योजनागत पूँजीगत व्यय

1. राजस्व प्राप्तियाँ – वे प्राप्तियाँ जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता । इन्हें गैर प्रतिदेय भी कहा जाता है ।
2. पूँजीगत प्राप्तियाँ – सरकार की वे सभी प्राप्तियाँ जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियाँ कम हो, पूँजीगत प्राप्तियाँ कहलाता है ।
3. राजस्व व्यय – इनका संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यो तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण ध्यान अदायक राज्य सरकारों व अन्य दलों को प्रद्धत अनुदानों आदि पर किये गये व्यय से होता है ।
4. पूँजीगत व्यय – ये सरकार के वे व्यय है जिसके परिणास्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्व की कमी होती है ।

राजकोषीय घाटा – कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ)

शून्य आधारित बजट – यह बजट बनाने की ऐसी विधि है जिसमें हर बार बजट बनाने पर सभी खर्चो का मूल्यांकन शून्य मानकर शुरु किया जाता है ।

- भविष्य की योजनाओं का गणितीय प्रदर्शन बजट कहलाता है ।

- केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाने वाला बजट संघ बजट या केन्द्रीय बजट कहलाता है ।
- भारत में बजट वर्तमान वित्त वर्ष के फरवरी माह के पहले कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है ।
- बजट बनाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है ।
- वित्त मंत्रालय में बजट संबंधी कार्य आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किये जाते हैं ।
- बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में अपना बजट भाषण पढा जाता है ।
- भारत में पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया ।
- आजाद भारत का पहला बजट 1947 (नवम्बर) शनमुखम् चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया ।
- बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा निम्न तीन दस्तावेज संसद के समक्ष रखे जाते हैं –
  (i) वार्षिक वित्तीय विवरण
  (ii) वित्त विधेयक
  (iii) विनियोग विधेयक
- उपरोक्त तीनों विवरण प्रस्तुत करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है ।
- संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ।

25 फरवरी, 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी, 1992 को सामान्य बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था ।

वार्षिक वित्तीय विवरण

- इस विवरण में सरकार की आय और व्यय संबंधी आँकडे होते हैं ।
- वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में दिये गये हैं ।

वित्त विधेयक

- भारत में कर कानूनों में परिवर्तन/संशोधन संबंधी प्रावधान वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं ।
- वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है ।
- वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 265 व 117 में दिए गए हैं ।

विनियोग विधेयक

- बजट के माध्यम से आने वाले वर्ष के लिए खर्चों का प्रस्ताव रखा जाता है । इन खर्चों के लिए संचित विधि से धन राशि की माँग की जाती है ।
- विनियोग संबंधी प्रावधान 266 व 114 अनुच्छेद में दिए गए हैं ।
- यह भी धन विधेयक का एक रुप है ।

सरकार की निधियाँ

संचित निधि

- यह सरकार की प्रमुख निधि है । सरकार की लगभग सभी प्राप्तियाँ व आय इसी निधि में जमा की जाती हैं । जैसे – कर से आय, सरकारी कम्पनियों से प्राप्त लाभांश प्राप्त ब्याज, ऋण से प्राप्त धन राशि आदि ।
- बजट के माध्यम से खर्चों के लिए इसी निधि की धन राशि का प्रयोग किया जाता है ।
- इस निधि से धन राशि खर्च करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है ।
- इस विधि से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 266 में दिए गए हैं ।

लोक लेखा

- ऐसी धनराशि जो सामान्य उद्देश्य के लिए खर्च नहीं की जा सकती या ऐसी धन राशि जिसे भविष्य में वापस लौटाना होता है । इस निधि में रखी जाती है ।
- इस निधि में जमा राशि के लिए सरकार संरक्षक की भूमिका निभाती है ।
- इस निधि का उपयोग करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है ।
- इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 266 में दिये गये है
  जैसे – कर्मचारियों का पेंशन अंशदान या भविष्य निधि अंशदान आदि ।